डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम दौसा
व इजलास मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.

1. अमरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम कालाखो तहसील भांडारेज जिला दौसा

वादी

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम कालाखो तहसील भांडारेज जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा
3. उप तहसीलदार (उपपंजीयक) भांडारेज
4. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गण्डरावा तहसील सिकराय जिला दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती इन्द्राज

मुकदमा नम्बर : 12/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस. एवं हाजिरी श्री राजकुमार तिवाडी अधिवक्ता वादी, श्री सत्यनारायण शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती इन्द्राज स्वीकार योग्य न होने के कारण खारिज किया जाता है।

निज ———— मुबलिग ————— बाबत ———— खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह ——————— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ————— अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.07.2025 को जारी की गई।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालत नामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजह सबूत	0	0	महन्ताना वकील	0	0
महन्ताना वकील	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	फीस कमिश्नर	0	0
फीस कमिश्नर	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	मुतफरिक	0	0
मुतफरिक	0	0			
मीजान	0	0	मीजान	0	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:58 IST
Reason: SelfAttested

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	12/2023
दायर दिनांक	:	19.05.2023
निर्णय दिनांक	:	23.07.2025

1. अमरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम कालाखो तहसील भांडारेज जिला दौसा

वादी

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम कालाखो तहसील भांडारेज जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा
3. उप तहसीलदार (उपपंजीयक) भांडारेज
4. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गण्डरावा तहसील सिकराय जिला दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती इन्द्राज

उपस्थित अधिवक्ता : श्री राजकुमार तिवाड़ी (वादी की ओर से)
श्री सत्यनारायण शर्मा (प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से)

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा यह वाद बाबत् उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती इन्द्राज प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वाके ग्राम कालाखो में संवत् 2017 एकीकरण के समय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दादा भूरसिंह पुत्र चन्द्रसिंह कौम राजपूत साकिन देह के नाम साबिक खसरा नम्बर 69, 71, 100, 117/1 लगायत 117/19, 178/1 लगायत 178/11, 208, 244, 245/1 लगायत 245/26 एवं खसरा नम्बर 252/1 लगायत 252/3 तथा खसरा नम्बर 262/1 लगायत 262/4, खसरा नम्बर 268/1 लगायत 268/5 कुल रकबा 143 बीघा 1 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :—

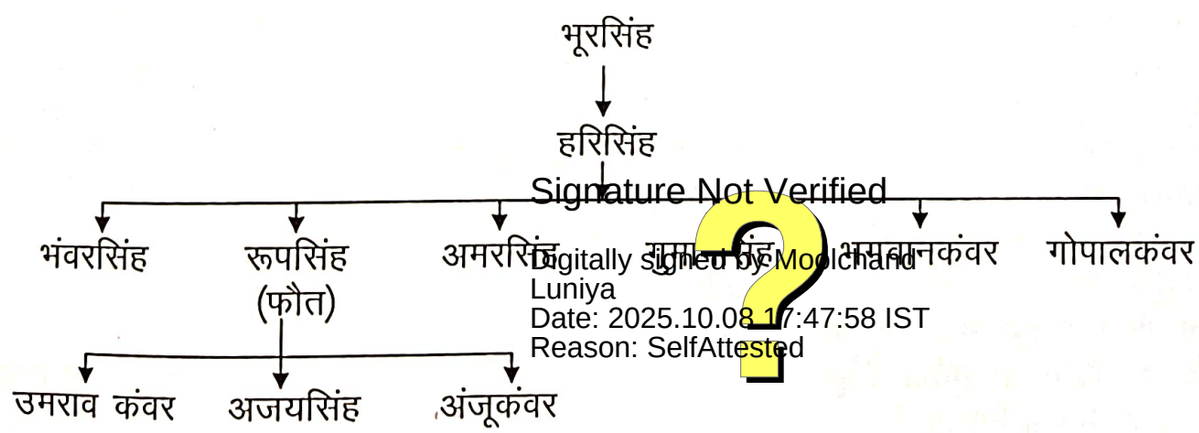

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:58 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पितामह भूरसिंह पुत्र चन्द्रसिंह कौम राजपूत की साबिक खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि कुल 143 बीघा 1 बिस्वा में वादी का 1/4 हिस्सा था। वादी के 1/4 हिस्से के अनुसार वादी की खातेदारी की भूमि में लगभग 8.93 है. भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में

होनी चाहिए थी किन्तु वर्तमान में वादी के खातेदारी में केवल मात्र 4.44 है० भूमि ही दर्ज रिकॉर्ड है। वादी की साबिक रिकॉर्ड अनुसार 8.93 है० भूमि में से शेष भूमि 2.71 है० भूमि का उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त रूप से खातेदारी की भूमि में से कुल 6.08 है० भूमि का बेचान कर दिया है, जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 था। इस प्रकार वादी की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में 4.44 है० भूमि दर्ज रिकॉर्ड है तथा वादी द्वारा अपने हिस्से की संयुक्त खातेदारी की भूमि में से 1.52 है० भूमि का बेचान कर दिया है। साबिक रिकॉर्ड अनुसार वादी की खातेदारी में 8.93 है० भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी की खातेदारी में 2.71 है० भूमि कम दर्ज है। उक्त 2.71 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में अधिक दर्ज रिकॉर्ड है। साबिक खसरा नम्बर 245/1 लगायत 245/26 के हाल खसरा नम्बर 580, 584, 585, 589, 590 लगायत 600, 605 लगायत 613 बनाये गये हैं। जमाबन्दी खतौनी संवत् 2017 के अनुसार प्रतिवादी के हिस्से में उपरोक्त वर्तमान खसरा नम्बरान में से 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था लेकिन सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा एकीकरण संवत् 2017 के खातेदार भूरसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत के साबिक खसरा नम्बर 245/1 लगायत 245/26 की भूमि सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी। वादी अपने पितामह की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि के हिस्से अनुसार हाल खसरा नम्बर 607 रकबा 0.90 है० में से 0.58 है०, खसरा नम्बर 608 रकबा 0.67 है०, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.46 है०, खसरा नम्बर 611 रकबा 0.27 है०, खसरा नम्बर 612 रकबा 0.47 है०, खसरा नम्बर 613 रकबा 0.24 है० कुल किता 7 कुल रकबा 2.71 है० पर काबिजकाश्त है। इस प्रकार उपरोक्त वर्तमान भूमि वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कोई लेना देना वास्ता नहीं है। सेटलमेन्ट विभाग व एकीकरण विभाग को केवल मात्र लगान कायम करने का ही अधिकार था किसी खातेदार की भूमि को कम ज्यादा करने या किसी खातेदार की भूमि को किसी अन्य खातेदार के लगाने का कोई अधिकार नहीं था। अतः वादपत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 607 रकबा 0.90 है० में से 0.58 है०, खसरा नम्बर 608 रकबा 0.67 है०, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.46 है०, खसरा नम्बर 611 रकबा 0.27 है०, खसरा नम्बर 612 रकबा 0.47 है०, खसरा नम्बर 613 रकबा 0.24 है० कुल किता 7 कुल रकबा 2.71 है० वाके ग्राम कालाखो के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जावे तद्नुरूप वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व में वादी को बतौर खातेदार दर्ज किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2023 के तहत् आयोजित शिविर कालाखो में तलब की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा पावर पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संयुक्त रूप से प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत कर वादपत्र को स्वीकार करने में अपनी सहमति व्यक्त की गयी। राजीनामा तस्दीक किया गया। प्रकरण में अमरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत द्वारा शपथ–पत्र बाबत् साक्ष्यवादी पेश किया गया।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादी ने अपने वादपत्र के जरिये कथन किया है कि ग्राम कालाखो में सम्वत् 2017 एकीकरण के समय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दादा भूरसिंह पुत्र चन्द्रसिंह कौम राजपूत के नाम कुल रकबा 143 बीघा 1 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा था। इस हिस्से से वादी की खातेदारी में लगभग 8.93 है० भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी किन्तु वर्तमान में वादी की खातेदारी में मात्र 4.44 है० भूमि ही दर्ज रिकॉर्ड है। वादी ने अपने हिस्से की संयुक्त खातेदारी की भूमि में से 1.52 है० भूमि का बेचान कर दिया है। इस प्रकार वादी की खातेदारी में 2.71 है० भूमि कम दर्ज है। उक्त 2.71 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में अधिक दर्ज रिकॉर्ड है। सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अधिक भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गयी है। अतः वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बरान में से कुल 2.71 है० भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Suniya
Date: 2025.10.08 17:47:58 IST
Reason: SelfAttested

किया जावे। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613 में से कुल रकबा 2.71 है० वाके ग्राम कालाखो का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी को घोषित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग सम्वत् 2017 अनुसार ग्राम कालाखो के खसरा नम्बर 69, 71, 100, 117/1 लगायत 117/19, 178/1 लगायत 178/11, 208, 244, 245/1 लगायत 245/26 एवं खसरा नम्बर 252/1 लगायत 252/3 तथा खसरा नम्बर 262/1 लगायत 262/4, खसरा नम्बर 268/1 लगायत 268/5 कुल रकबा 143 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी भूरसिंह पुत्र चन्द्रसिंह कौम राजपूत के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। वादी का कथन है कि उक्त भूमि रकबा 143 बीघा 1 बिस्वा में वादी का हिस्सा 1/4 था एवं इस हिस्से अनुसार वादी की खातेदारी में 8.93 है० भूमि होनी चाहिए थी। किन्तु वादी द्वारा वादपत्र में दर्शाये गये सजरे अनुसार भूरसिंह की उक्त खातेदारी भूमि में वादी अमरसिंह, प्रतिवादी संख्या 1 भंवरसिंह, रूपसिंह, गुमानसिंह, भगवानकंवर एवं गोपालकंवर समान रूप से हिस्सेदार होना प्रतीत होते हैं। इस प्रकार वादी अमरसिंह अपने पितामह भूरसिंह की खातेदारी में 1/6 हिस्से का हकदार होना चाहिए था किन्तु वादी अमरसिंह ने अपने पितामह भूरसिंह की खातेदारी भूमि में स्वयं को 1/4 हिस्से का हकदार होना बताया है। वादी इस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि वह किस प्रकार अपने पितामह भूरसिंह की खातेदारी भूमि में 1/4 हिस्से का हकदार है। वादी का कथन है कि सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अधिक भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी भू-प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2041-2060 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में कुल 7.05 है० भूमि दर्ज होना प्रमाणित होता है। किन्तु भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी एवं शेष वारिसान रूपसिंह, गुमानसिंह, भगवानकंवर एवं गोपालकंवर के नाम दर्ज की गयी भूमि से संबंधित ऐसी कोई जमाबन्दी/दस्तावेजी साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिनका तुलनात्मक अध्ययन कर इस तथ्य की पुष्टि की जा सके कि भू-प्रबन्ध विभाग ने वादी की तुलना में भूरसिंह/हरिसिंह के अन्य वारिसान के नाम अधिक भूमि खातेदारी में दर्ज की है। इस प्रकार प्रकरण में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से किसी खातेदार के नाम अधिक भूमि दर्ज किया जाना साबित नहीं होता है। वादी ने वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613 में से कुल रकबा 2.71 है० वाके ग्राम कालाखो की खातेदारी स्वयं ने नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार सम्वत् 2073-2076 (वर्ष 2019) से स्थायी अनुसार ग्राम कालाखो स्थित वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होना प्रमाणित होता है। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने उक्त खसरा नम्बरान में से कुल रकबा 2.71 है० भूमि को वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। किन्तु न्यायालय के मत में प्रकरण में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से खातेदारी दर्ज होना साबित नहीं होने के बावजूद मात्र प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि को वादी के नाम स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वादी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विधिक् प्रक्रियानुसार पंजीयन/स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर भूमि की खातेदारी को एक खातेदार से दूसरे खातेदार के नाम स्थानान्तरित करवाया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती इन्द्राज स्वीकार योग्य न होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:58 IST
Reason: SelfAttested

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा